

परिपत्र

विषय : प्रत्यारोपण [स्टेंट/ घुटने के प्रत्यारोपण/ पेसमेकर/ नेत्र लेंस/ सीपीएपी/ बीआईओपी/ श्रवण यंत्र आदि] की लागत।

जैसा कि सभी को ज्ञात है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्यारोपण [स्टेंट/ घुटने के प्रतिस्थापन/ पेसमेकर/ नेत्र लेंस/ सीपीएपी/ बीआईओपी/ श्रवण यंत्र आदि] लागत की प्रतिपूर्ति/ हकदारी की अनुमति केवल सीजीएचएस दरों पर ही दी जाती है। उक्त के आलोक में पुनः यह सूचित किया जाता है कि सीजीएचएस दर से अधिक राशि होने पर [उच्चतर मोड/ वर्जन के कारण] अतिरिक्त राशि का भुगतान संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

--हस्ता ०--

(बृज राज चौहान)

वरिष्ठ प्रबंधक (प्रशासन)

वितरण :

- अध्यक्ष के वरिष्ठ ईए
- ईए – सदस्य (मानव संसाधन/ वित्त व लेखा/ प्रचालन/ योजना/ एएनएस)
- निजी सचिव - सदस्य [मानव संसाधन/ प्रशासन/ वित्त व लेखा/ प्रचालन/ योजना/ एएनएस/ अभियांत्रिकी]
- सभी विभागाध्यक्ष – निगमित मुख्यालय
- महाप्रबंधक (आईटी) – भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
- महा सचिव एएईयू/ एटीसी गिल्ड/ एएआईओए/ एएआईसीओए/ एससी व एसटी कल्याण संघ
- सूचनापट्ट

प्रतिलिपि :

- क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
उत्तरी क्षेत्र/ दक्षिणी क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र/ पश्चिमी क्षेत्र/ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
- विमानपत्तन निदेशक
चेन्नई/ कोलकाता हवाईअड्डा/ सफदरजंग हवाईअड्डा
- कार्यपालक निदेशक – आरसीडीयू/ एफआईयू/ सीआरएसडी/ ई व एम वर्कशॉप
- प्रधानाचार्य – केंद्रीय विमानन प्रशिक्षण कॉलेज, इलाहाबाद